

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

22/9/2020

क्रमांक : F 26(4)(208)(56)Deworming/IEC/ICDS/2013-14/Pl.II/
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)


जयपुर, दिनांक : 1032934-103290
बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त (राजस्थान)

विषय:- राष्ट्रीय डी-वार्मिंग व एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस में
भाग लिये जाने के संबंध में।
प्रसंग:- मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ट सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 803 दिनांक 21.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राष्ट्रीय
कृमि मुक्त दिवस (एनडीडी) का चरण दिनांक 5 से 11 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ किया जा रहा है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस (एनडीडी) का आमुखीकरण एवं एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की समीक्षा
हेतु दिनांक 22.09.2020 को सांय 2.30 से 5.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृमि
मुक्त दिवस (एनडीडी) का आमुखीकरण एवं एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की समीक्षा हेतु दिनांक
22.09.2020 को सांय 2.30 से 5.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर


www.rajteachers.com

क्रमांक : F 26(4)(208)(56)Deworming/IEC/ICDS/2013-14/Pl.II/

103291-94 जयपुर, दिनांक : 22/9/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर से
निवेदन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला एवं ब्लॉक से उपस्थिति व अनुपस्थिति अधिकारियों की
सूची उपलब्ध कराये। जिससे अनुपस्थिति अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।
4. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141-2223862

e mail ID : projectdirectorchi@gmail.com

क्रमांक: एफ.7() एन.एच.एम/सी.एच/MIS-II/2020/ 804

दिनांक: 21.9.20

विडियो कॉन्फ्रेंस आदेश

राष्ट्रीय कृषि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 05 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक किया जायेगा। इस हेतु मिशन निदेशक एनएचएम महोदय की अध्यक्षता में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण, प्लानिंग सत्र दिनांक 22.09.2020 को DO-IT के माध्यम से मध्याह्न: 2.30 से 5.00 बजे तक आयोजित किया जायेगा।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कृषि मुक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम पर भी संक्षिप्त समीक्षा की जायेगी।

विडियो कॉन्फ्रेंस प्रतिभागी:-

राज्य स्तरीय प्रतिभागी	जिला स्तरीय प्रतिभागी	ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागी
मिशन निदेशक, एनएचएम	उप/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
निदेशक, आरसीएच	अधिकारी (प.क.) , RCHD	अधिकारी
अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक
परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य	जिला शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम	ब्लॉक आशा समन्वयक
राज्य नोडल अधिकारी, शिशु स्वास्थ्य	जिला आशा समन्वयक, एनएचएम	
कार्यक्रम अधिकारी, शिशु स्वास्थ्य	जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम	
डीएनओ, शिशु स्वास्थ्य	डीएनओ, एएसओ (प.क.)	
प्रतिनिधि-यूनिसेफ, एविडेन्स एक्शन	Dist. IEC Coordinator	

नोट:- राज्य स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस निदेशक जन स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस हॉल (निदेशालय चि.स्वा.) से आयोजित की जायेगी।

www.rajteachers.com

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.7() एन.एच.एम/सी.एच/MIS-II/2020/ 804

दिनांक: 21.9.20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक-वित्त, एनएचएम मुख्यालय।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य, एन. एच. एम. जयपुर।
8. राज्य नोडल अधिकारी, एनएचएम मुख्यालय।
9. राज्य नोडल अधिकारी, आशा, एनएचएम मुख्यालय।
10. भण्डार अधिकारी, एनएचएम को भेजकर लेख है कि राज्य स्तरीय प्रतिभागी हेतु चाय-पानो, मास्क, सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. एसीपी, डीओ-आईटी, मुख्यालय।
12. कैंबर टेकर कॉन्फ्रेंस हॉल निदेशक, जन स्वास्थ्य को भेजकर लेख है कि उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल-निदेशक, जन स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
14. उप/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), समस्त जिले, राजस्थान।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले, राजस्थान।
16. जिला आशा समन्वयक एवं जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले, राजस्थान।
17. एएसओ (प.क.) एवं डीएनओ, समस्त जिले, राजस्थान।
18. राज्य प्रतिनिधि-यूनिसेफ (न्यूट्रिशन), एविडेन्स एक्शन।
19. सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल करने हेतु एवं रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आरसीएच)